<u>**प्रेस नोट-**</u>

<u>**थाना बबीना**</u>

<u>**दिनाँक 06.10.2025**</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **ब्लाइंड मार्डर का सफल अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना लहचूरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में दिनाँक 04.10.2025 को घटित ब्लाइंट मार्डर का सफलता पूर्वक अनावरण किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्त सरमन पुत्र कलू उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम चकारा थाना लहचूरा जिला झांसी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>**संक्षिप्त विवरणः-**</u>

दिनांक 04.10.2025 को वादी श्री राजवेन्द्र पुत्र सरमन निवासी ग्राम चकारा, थाना लहचूरा, जनपद झाँसी ने लिखित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से थाना लहचूरा पर सूचित किया कि उनका पुत्र मुकेश उम्र करीब 08 वर्ष दिन में समय करीब 01.00 बजे लापता हो गया, जिसको परिजन द्वारा काफी तलाश किया गया, परन्तु न मिलने पर समय करीब 6 बजे शाम को यूपी-112 पर सूचना दिया।

उक्त सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना लहचूरा पर मु0अ0सं0 135/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा स्थानीय पुलिस टीम गुमशुदा/अपहृत बालक मुकेश की तलाश हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा था, इसी क्रम में पुलिस द्वारा वादी के गाँव जाकर उसके मकान के आसपास व कमरों में तलाश किया गया तो अपहृत बालक का शव वादी के मकान में भूसे वाले कमरे से बरामद हुआ।

उपरोक्त सम्बन्ध में सर्वसम्बन्धित को सूचित करते हुए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर गहनता से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कराई गई एवं शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमॉर्टम कराया गया।

घटना के अनावरण हेतु स्वाट, सर्वेलंस सहित पुलिस टीमों को लगाया गया, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन सहित सार्थक प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से अपहृत मुकेश की मृत्यु गला दबाने से होना पाया गया। चूंकि मृतक का शव वादी के घर में पाया गया तथा विवेचना व जाँच से घर में किसी अन्य व्यक्ति के आने-जाने का साक्ष्य नहीं पाए जाने पर घटना के सम्बन्ध में वादी व उनके परिजन से गहनता से

पूछताछ की गई तो वादी के पिता सरमन पुत्र कलू द्वारा गृह कलह के कारण अपने नाती मुकेश का गला दबाने, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने पर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को भूसे वाले कमरे में फेंकना स्वीकार किया गया।

जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सरमन पुत्र कलू उम्र करीब 50 वर्ष उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा अभियुक्त सरमन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-135/2025 में धारा 103(1)/238 बीएनएस का समावेश करते हुए विधिक कार्यवाही की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा गया।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त सरमन पुत्र कल्लू, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम चकारा, थाना लहचूरा, जनपद झाँसी से घटना के संबंध में पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी बहू चंद्रमुखी प्रायः उसकी पत्नी शांति से लड़ाई-झगड़ा करती थी तथा घर का सामान अपने घर ले जाया करती थी। उसका नाती मुकेश भी घर का सामान उठाकर अपनी माँ को दे देता था।

घर में अक्सर कलह की स्थिति बनी रहती थी। अभियुक्त ने बताया कि वह चाहता था कि उसकी बहू घर छोड़कर चली जाए। उसने यह भी बताया कि उसका नाती मुकेश, अभियुक्त के पास रखे हुए पैसे बिना बताए चुरा लेता था, जिससे उसे गुस्सा आता था।

अभियुक्त ने आगे बताया उस दिन उसे अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने नाती मुकेश को डांटना चाहा, किंतु गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसके मुँह से खून निकल आया। जब अभियुक्त को यह आभास हुआ कि मुकेश की मृत्यु हो गई है, तो वह डर गया और शव को भूसा वाले कमरे में ले जाकर छिपा दिया तथा बकरी लेकर घर से बाहर चला गया, ताकि घरवालों को उस पर शक न हो।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः- सरमन पुत्र कलू उम्र करीब 50 वर्ष नि0 ग्राम चकारा थाना लहचूरा जिला झांसी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. श्रीमती सरिता मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना लहचूरा जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार, थाना लहचूरा जिला झाँसी।
3. उ0नि0 श्री विजय शंकर शुक्ला, थाना लहचूरा जिला झाँसी।
4. हे0का0 26 भूमिराज सिंह, थाना लहचूरा जिला झाँसी।
5. का0 734 कुलदीप सिंह, थाना लहचूरा जिला झाँसी।
6. का0 293 शरद कुमार, थाना लहचूरा जिला झाँसी।
7. का0 179 राजेन्द्र सिंह, थाना लहचूरा जिला झाँसी।